भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)

प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौमाही के वित्तीय परिणाम

[₹ करोड़]

विवरण	31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही	31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही	31 दिसंबर, 2020 को समाप्त नौमाही	31 दिसंबर, 2019 को समाप्त नौमाही	31 मार्च, 2020 को समाप्त पिछला लेखांकन वर्ष
	[समीक्षित]	[समीक्षित]	[समीक्षित]	[समीक्षित]	[लेखापरीक्षित]
1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)	**2436**	**2780**	**7953**	**8096**	**11021**
(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	2228	2589	7088	7691	10392
(ख) निवेशों पर आय	44	9	480	22	26
(ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	164	182	385	383	603
(घ) अन्य	-	-	-	-	-
2. अन्य आय	154	132	324	584	698
3. कुल आय (1+2)	**2590**	**2912**	**8277**	**8680**	**11719**
4. ब्याज व्यय	1596	1965	5055	5726	7722
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	**120**	**142**	**439**	**446**	**607**
(i) कर्मचारी लागत	85	95	321	287	393
(ii) अन्य परिचालन व्यय	35	47	118	159	214
6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	**1716**	**2107**	**5494**	**6172**	**8329**
7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	**874**	**805**	**2783**	**2508**	**3390**
8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय [पुनरांकन पश्चात निवल]	34	196	452	987	953
9. असाधारण मदें	-	-	518	371	371
10 सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-) (7-8+9)	**840**	**609**	**2849**	**1892**	**2808**
11. कर संबंधी व्यय [डीटीए / डीटीएल के पश्चात निवल]	210	31	684	328	493
12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ(+) / हानि(-) (10-11)	**630**	**578**	**2165**	**1564**	**2315**
13. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर)	-	-	-	-	-
14. अवधि का निवल लाभ (+) / हानि (–) (12-13)	**630**	**578**	**2165**	**1564**	**2315**
15. चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)	532	532	532	532	532
16. आरक्षितियाँ, पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर	20340	17427	20340	17427	18175
17. विश्लेषणात्मक अनुपात					

(i) पूँजी पर्याप्तता अनुपात	29.04%	24.79%	29.04%	24.79%	26.62%
(ii) प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)	11.84	10.86	40.70	29.41	43.51
18) गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात					
क) गैर-निष्पादक आस्ति की सकल राशि	669.45	1549.75	669.45	1549.75	1040.84
ख) गैर-निष्पादक आस्ति की निवल राशि	114.49	884.08	114.49	884.08	658.64
ग) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.47	0.97	0.47	0.97	0.63
घ) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.08	0.56	0.08	0.56	0.40
च) आस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात्) वार्षिकीकृत	1.69%	1.28%	1.69%	1.28%	1.36%

टिप्पणियाँ :

1) बैंक इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने में उन्हीं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।

2) निदेशक मंडल द्वारा 12 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणाम अनुमोदित किए गए हैं।

3) 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त नौमाही के लिए 'प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय', प्रतिलेखन के बाद निवल हैं।

4) 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त नौमाही के वित्तीय परिणाम भारतीय रिज़र्व बैंक से जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर गैर-निष्पादक आस्तियों, मानक आस्तियों तथा निवेश संबंधी मूल्यह्रास के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद निकाले गए हैं। आयकर, आस्थगित कर तथा कर्मचारी लाभ सहित अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान अनुमानित/समानुपातिक आधार पर किए गए हैं और वर्षांत में समायोजन के अधीन हैं।

5) असाधारण मद, वित्त वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही में एक्सचेंज रिस्क फ्लक्चुएशन फंड जीका-V खाते में (भारत सरकार के अनुमोदनानुसार) प्रत्यावर्तित ₹517.86 करोड़ को दर्शाती है, चूंकि अब इसे बही में अग्रानीत करने की अपेक्षा नहीं है।

6) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित 'कोविड-19 रेग्युलेटरी पैकेज के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप, बैंक द्वारा इसे पुनर्संरचना माने बिना, 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के बीच ऋण किस्तों की चुकौती का अधिस्थगन और / या ब्याज की अदायगी का आस्थगन करने की पेशकश की गई थी। इसके अलावा, बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के 27 मार्च, 2020 और 17 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के अनुसार 31 दिसंबर, 2020 तक ₹27.98 करोड़ का प्रावधान रखा है।

7) सर्वोच्च न्यायालय के 03 सितंबर, 2020 के अंतरिम आदेश के संदर्भ में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रिमों के बारे में आईआरएसी विषयक विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार ऐसे किसी भी खाते को गैर-निष्पादक आस्तियों के रूप में घोषित नहीं किया, जो कि 31 अगस्त, 2020 तक गैर-निष्पादक आस्तियों की श्रेणी में नहीं था। बैंक ने इन खातों पर वसूल न किए गए ब्याज को आय के रूप में मान्यता नहीं दी है और इन अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त प्रावधान किए हैं।

8) निवल अनर्जक आस्तियों के परिकलन के लिए चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है।

9) निवेशकों की शिकायत संबंधी स्थिति : यथा 01 अक्तूबर, 2020 को कोई शिकायत लंबित नहीं थी। तिमाही के दौरान निवेशकों से 4 शिकायतें प्राप्त हुई और 4 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। तदनुसार, यथा 31 दिसंबर, 2020 को कोई शिकायत निस्तारण के लिए लंबित नहीं है।

10) पिछली अवधि के आँकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

11) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, अगली सूचना तक एआईएफआईज के लिए आईएनडी-एएस का क्रियान्वयन आस्थगित कर दिया गया है।

12) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उपर्युक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है।

निदेशक मंडल के आदेश से
ह /-

दिनांक : 12 फरवरी, 2021
स्थान : मुंबई

[वी. सत्य वेंकटा राव]
उप प्रबंध निदेशक